[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली तारीख 9 जून, 2022

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) और उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 में,-

(i) नियम 4 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4)(क) जहाँ रजिस्ट्रार, प्ररूप एसटीके-2 में किए गए आवेदन की जाँच करने पर, यह पाता है कि आगे और जानकारी माँगना आवश्यक है या यह पाता है कि ऐसा आवेदन अथवा उसके साथ उपाबद्ध कोई दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण हैं, तो वह आवेदक को यह सूचित करेगा कि वह ऐसी त्रुटियों को दूर करे और ऐसी सूचना की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूर्ण प्ररूप को पुनःप्रस्तुत करे, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसे प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(ख) प्ररूप या दस्तावेज के पुनःप्रस्तुत करने के पश्चात्, यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि प्ररूप या दस्तावेज किसी भी रूप में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है, तो वह ऐसी त्रुटियों को हटाने और प्ररूप को पूर्ण करने के लिए पंद्रह दिन का आगे और समय देगा, ऐसा न करने पर रजिस्ट्रार इलेक्ट्रिक रिकार्ड में प्ररूप को अमान्य मानेगा, और तदनुसार आवेदक को सूचित करेगा।

(ग) कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 के प्रारंभ से पूर्व यदि प्ररूप एसटीके-2 में आवेदन की कोई पुनःप्रस्तुति की गई है तो ऐसी पुनः प्रस्तुति को ऐसे प्ररूप की पुनःप्रस्तुतियों की अधिकतम संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।"।

(ii) प्ररूप सं. एसटीके-1, प्ररूप सं. एकटीके-5 और प्ररूप सं. एसटीके-5क के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएँगे, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. एसटीके-1

रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी रजिस्टर से किसी कंपनी का नाम हटाने के लिए नोटिस

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 नियम 3 के अनुसरण में]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय.....(राज्य)

(कंपनी रजिस्ट्रार का पता)

पत्र सं..... **तारीख .....**

संदर्भः

कंपनी अधिनियम, 2013 में मैसर्स.....के मामले में

सेवा में,

.....

.....

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) के अनुसरण में, नोटिस दिया जाता है कि उपलब्ध अभिलेख के अनुसार,-

☐ कंपनी अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर अपना कारोबार प्रारंभ करने में असफल रही है;

☐ कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि में कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है और इस अवधि में धारा 455 के अधीन एक निष्क्रिय कंपनी का स्तर प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है;

☐ ज्ञापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने किसी कंपनी के निगमन के समय करने का वचन दिया था और धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन उसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर इस आशय की कोई घोषणा फाइल नहीं की गई है।

(जो लागू है उस पर निशान लगाएं)

(2) अतः, पूर्वोक्त कारण/कारणों के आधार पर, मैं कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों, यदि कोई हो, सहित अपना अभ्यावेदन भेजें।

(3) जब तक कि उपर्युक्त समयावधि के भीतर अन्यथा कारण न बताया जाए, उपर्युक्त कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटाया जा सकता है। तथापि, कंपनी के निदेशक अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

कंपनी रजिस्ट्रार

सेवा में,
कंपनी/सभी निदेशक

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार डाक भेजने का पता

प्रति, सभी निदेशकों कोः [यदि नोटिस केवल कंपनी के लिए जारी किया जाता है]

प्ररूप सं. एसटीके – 5

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक सूचना सं. ..... **तारीख .....**

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के अधीन मैसर्स ....., मैसर्स ....., मैसर्स ..... कंपनियों का नाम हटाने के मामले में।

1. यह नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि,-

(i) निम्नलिखित कंपनियों ने अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ नहीं किया है, अर्थात्:-

मैसर्स ..... (कंपनियों के नाम इंगित करें);

मैसर्स .....

(ii) निम्नलिखित कंपनियों ने दो पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में कोई कारोबार या प्रचालन नहीं किया है और इस अवधि के भीतर धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है, अर्थात्:-

मैसर्स ..... (कंपनी का नाम इंगित करें);

मैसर्स .....

(iii) निम्नलिखित कंपनियों में, ज्ञापन के अभिदाताओं ने अभिदान का भुगतान नहीं किया, जो उन्होने कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था तथा धारा 10क की उप धारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दायर नहीं की गयी है, अर्थात्:-

मैसर्स ..... (कंपनी का नाम इंगित करें);

मैसर्स .....

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उन का विघटन किया जाए।

(2) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

प्ररूप संख्या एसटीके-5क

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (4) और उपधारा (1) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7(1) के द्वितीय परंतुक अनुसरण में]

.....

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

(कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता)

सार्वजनिक सूचना सं. ..... **तारीख .....**

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित कंपनियों के नाम हटाने के मामले में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:-

1. सूचना दी जाती है कि, कंपनी रजिस्टार के पास विश्वास करने का उचित कारण है कि कंपनियो, जिन का नाम ..... (मंत्रालय की वेबसाइट के पृष्ठ का वेब लिंक प्रदान करें जहां नाम सूचीबद्ध हैं) पर सूचीबद्ध है।,-

(i) निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू नहीं किया है;

(ii) दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की अवधि में कोई कारोबार या प्रचालन नहीं किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन कंपनी की निष्क्रिय स्थिति प्राप्त करने हेतु इस अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया गया है;

(iii) ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया, जिसे कंपनी के निगमन के समय करने का वचन किया था तथा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा दायर नहीं के गई है;

[जो लागू न हो उसे काट दें]

और यह प्रस्ताव है कि ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाया/काटा जाए और जब तक अन्यथा कारण न हों, सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उनका विघटन किया जाए।

2. यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

कंपनी रजिस्ट्रार

[फा.स.1/28/2013-सीएल-V (पार्ट)]

O/C

मनोज पाण्डेय

(मनोज पाण्डेय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि 1174(अ) तारीख 26 दिसंबर, 2016 के अधीन प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355 (अ) तारीख 12 अप्रैल 2017, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 8 मई 2019, तथा सा.का.नि 420 (अ) तारीख 29 जून 2020 के द्वारा संशोधित किए गए।